दैनिक भास्कर
रायसेन 28-04-2023

महादेव पानी घूमने आई छात्रा से गैंग रेप का मामला

2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा, 90 हजार अर्थदंड भी

भास्कर संवाददाता | रायसेन

चार साल पहले महादेव पानी क्षेत्र में एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

घटना 7 अप्रैल 2019 की है। भोपाल निवासी बी कॉम सेकंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ बाइक से महादेव पानी घूमने के लिए आई थी। यहां भूरा खां पिता अजीज निवासी सुनारी रोड थाना सलामतपुर और जगदीश पिता लालाराम अहिरवार निवासी ऊघर थाना गंज बसौदा जिला विदिशा ने छात्रा व उसके दोस्त को रोक लिया। फिर छात्रा के दोस्त को डरा धमकाकर भगा दिया। इसके बाद आरोपी छात्रा को थाने ले जाने के नाम पर जंगल के भीतर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बाद में आरोपी छात्रा को रोड पर छोड़कर भाग गए। किसी तरह से छात्रा भोपाल पहुंची। घटना के दूसरे दिन 8 अप्रैल को छात्रा अपने परिजनों के साथ खरबई चौकी पहुंची और उक्त आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं लखन सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक ने की।